रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082021-228807
CG-DL-E-06082021-228807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2021/श्रावण 15, 1943
No. 442] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2021/SHRAVANA 15, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 541(अ).—जहां, कतिपय प्रारूप नियम अर्थात् पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 44(अ), तारीख 23 जनवरी, 2020 की अधिसूचना द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथा अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे, जिसमे सभी व्यक्तियों से जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और पूर्वोक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां 23 जनवरी, 2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त अधिसूचना के प्रतिउत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों को केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का 29 की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में क्रमांक 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"73।	थोक दवा और निर्माण (फार्मास्युटिकल)	**क. बहिःस्राव मानक***	
			एकाग्रता के लिए सीमित मूल्य (पीएच और जैव परख को छोड़कर मिलीग्राम / एल में)
		(i) **अनिवार्य पैरामीटर**	
		पीएच	6.0 -8.5
		बीओडी (3 दिन 27 डिग्री सेल्सियस)	30
		सीओडी	250
		टीएसएस	100
		तेल और ग्रीस	10
		अमोनिकल नाइट्रोजन	100
		जैव - परख परीक्षण**	100% में पहले 96 घंटों के बाद 90% मछली की उत्तरजीविता
		(ii) अतिरिक्त पैरामीटर##	
		***बेन्जीन	0.1
		***जाइलीन	0.12
		***मीथाइलीन क्लोराइड	0.9
		***क्लोरोबेन्जीन	0.2
		पी . के रूप में फॉस्फेट	5
		एस . के रूप में सल्फाइड	2
		फेनोलिक यौगिक	1
		जस्ता	5
		लोहा	3
		कुल क्रोमियम	2
		हेक्सावलेंट क्रोमियम (क्रो6+)	0.1
		साइनाइड (एचसीएन के रुप में)	0.1
		आर्सेनिक	0.2
		मर्करी	0.01
		लेड	0.1
		एसएआर	26 से कम (भूमि पर केवल वाहन के लिए लागू)
		(iii) सीईटीपी के साथ उद्योग	
		• सीईटीपी के साथ और सीईटीपी के लिए उद्योग हेतु निर्वहन किए गए मानक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2016 द्वारा शासित होंगे।	

IndiaCode

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अतिरिक्त सुसंगत पैरामीटर को विहित करेगा जैसा कि उद्योगों के सदस्य के आवश्यकता और निर्वहन के अनुसार इस अधिसूचना के पैरा क (ii) में दिया गया है और पर्यावरण शर्तों को प्राप्त करने के विचार की निगरानी को तत्परता से विनिर्दिष्ट करता हो ।
टिप्पण :- पैरा क में मानक सीईटीपी के सिवाय सभी निर्वहन के लिए लागू हैं

*सीईटीपी के लिए उद्योग निर्वहन को लागू नहीं किया जाता है और भूमि तथा सतह जल निकाय के सभी निर्वहन को लागू होगा जिसके अंतर्गत उद्यान और सिंचाई प्रयोजन के लिए जल निस्तारण का प्रयोग किया जाना सम्मिलित है ।

** जैव परख परीक्षण आई एस. 6582-1971 के अनुसार आयोजित किया जाएगा ।

“अतिरिक्त पैरा मीटर”के रुप में सूचिबद्ध पैरामीटर प्रक्रिया और उत्पाद पर निर्भर रहते हुए एसपीसीवी द्वारा विहित किए जाएंगे और एसपीसीवी एस द्वारा निर्णय के अनुसार उसकी तत्परता से मानीटरी मासिक/तिमाही रुप से की जाएगी ।

***ये सीमाएं उन उद्योगों पर लागू होंगी जो बेन्जीन, जाइलीन मिथाइलीन क्लोराइड, क्लोरोबेन्जीन का उपयोग कर रहे हैं ।
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
ख. उत्सर्जन मानक
(टैंक फार्म वेंट)
<table>
<tr><td>पैरामीटर</td><td>एकाग्रता के लिए सीमित मूल्य (मिलीग्राम / एनएम 3)</td></tr>
<tr><td>क्लोरीन</td><td>15</td></tr>
<tr><td>हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाष्प</td><td>35</td></tr>
<tr><td>अमोनिया</td><td>30</td></tr>
<tr><td>बेंजीन</td><td>5</td></tr>
<tr><td>टोल्यूनि</td><td>100</td></tr>
<tr><td>एसीटोनिट्राइल</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>डाइक्लोरोमेथेन</td><td>200</td></tr>
<tr><td>जाइलीन</td><td>100</td></tr>
<tr><td>एसीटोन</td><td>2000</td></tr>
</table>
ग. विलायक का कुल संचयी नुकसान भंडारण सूची से वार्षिक आधार पर विलायक 5% से अधिक नहीं होना चाहिए
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>घ.थोक दवा के विनिर्माण या फार्मास्युटिकल के प्रतिपादन में लगे उद्योग के लिए उद्योग या सीईटीपी कैटरिंग पर बेकार जल या उसके प्रबंध सुविधा से उत्पन्न होने वाले केमिकल और बायोलोजिकल गाढ़ा कीचड़ या किसी अवशेष, हटाए जाने, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (मैनेजमेंट एंड ट्रांस-बाउंडरी मूवमेंट) नियम 2016 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड 17 के उपबंध के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा और उसमें किए गए उपबंध के अधीन होगा ।</td></tr>
</table>

[फा. सं. क्यू-15017/12/2018-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

IndiaCode

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक का. आ. 844(अ) तारीख 19 नवंबर, 1986 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 243(अ) तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा अंतिम रुप से संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2021

G.S.R. 541(E).—Whereas, certain draft rules, namely the Environment (Protection) Amendment Rules, 2020 were published in the Gazette of India, Extraordinary, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number G.S.R. 44 (E), dated the 23rd January, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the aforesaid notification were made available to the public on the 23rd January, 2020;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the aforesaid notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force after one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-l, for serial number 73 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S.No.	Industry	Parameters	Standard
1	2	3	4
"73.	**Bulk Drug and Formulation (Pharmaceutical)**	A. **EFFLUENT STANDARDS***	
			Limiting value for concentration (in mg/l except for pH and Bio assay)
		(i) Compulsory Parameters	
		pH	6.0 -8.5
		BOD (3 days 27°C)	30
		COD	250
		TSS	100
		Oil & Grease	10
		Ammonical Nitrogen	100
		Bio - Assay Test**	90% Survival of Fish after first 96 hours in 100% effluent

(ii) Additional Parameters[##]

******Benzene***	*0.1*
******Xylene***	*0.12*
******Methylene Chloride***	*0.9*
******Chlorobenzene***	0.2
Phosphates as P	5
Sulphides as S	2
Phenolic Compounds	1
Zinc	5
Copper	3
Total Chromium	2
Hexavalent Chromium (Cr^{6+})	0.1
Cyanide (as HCN)	0.1
Arsenic	0.2
Mercury	0.01
Lead	0.1
SAR	Less than 26 (applicable only for discharge on land)

(iii) Industry connected with CETP

- The discharge norms for industry connected with CETP and of CETP shall be governed by Ministry of Environment, Forest & Climate Change notification S.O. 4 (E), dated the 1st January, 2016.
- State Pollution Control Board shall prescribe additional relevant parameters as given at para A (ii) of this notification as per needs and discharge potential of member industries and specify the frequency of monitoring considering the receiving environment conditions.

Note:

The standards in para A is applicable to all discharges except to CETP.

*Not applicable to industry discharging to CETP, and shall be applicable to all discharge to land and surface water bodies including use of treated wastewater for horticulture or irrigation purpose.

** The Bio assay test shall be conducted as per IS : 6582-1971

Parameters listed as **"Additional Parameters"** shall be prescribed by SPCB depending on the process and product and its monitoring frequency shall be monthly/quarterly as decided by SPCBs

****Limits shall be applicable to industries those are using Benzene, Xylene, Methylene Chloride, Chlorobenzene.*

IndiaCode

B. **EMISSION STANDARDS**

(Tank farm Vents)

Parameter	**Limiting value for concentration (mg/Nm^3)**
Chlorine	15
Hydrochloric acid vapor	35
Ammonia	30
Benzene	5
Toluene	100
Acetonitrile	1000
Dichloromethane	200
Xylene	100
Acetone	2000

C. *The total cumulative losses of solvent should not be more than 5% of the solvent on annual basis from storage inventory*

D. Chemical and Biological sludge or any residue, reject, concentrate generated from wastewater treatment or its management facility at Industry or CETP catering to industries engaged in manufacturing of bulk drug or formulation of Pharmaceuticals, shall be classified as Hazardous Waste as per the provision of clause 17 of sub-rule (i) of rule 3 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Rules, 2016 and shall be subject to the provision made therein.

[F. No. Q-15017/12/2018-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 243(E), dated the 31st March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.06 21:42:24 +05'30'